



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1191]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 11, 2010/ज्येष्ठ 21, 1932

No. 1191]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 11, 2010/JYAISTHA 21, 1932

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2010

का.आ. 1415(अ).—संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में, राष्ट्रपति एतद्वारा निदेश देती हैं कि राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधधीन और अगले आदेशों तक, उप राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 38 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग एवं उसके कार्यों का निर्वहन भी करेंगे।

[फा. सं. 11030/2/2009-यू टी एल]

बी. भामथी, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 2010

S.O. 1415(E).—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that subject to the control of the President and until further orders, the Lieutenant Governor, National Capital Territory of Delhi shall also exercise the powers and discharge the functions of the State Government under Section 38 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) and the rules made thereunder, in the National Capital Territory of Delhi.

[F. No. 11030/2/2009-UTL]

B. BHAMATHI, Addl. Secy.